

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--:: आदेश ::--

क्रमांक-...383.../दो-12-2/1993

दमोह, दिनांक 15 सितम्बर 2025

इस स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारी को मूलभूत नियम 24 अनुसार सारणी-अ में दर्शित निम्नांकित कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के फलस्वरूप वेतन नियमन करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि (सारणी में उल्लेख अनुसार) स्वीकृत की जाती है-

सारणी-अ

क्र.	नाम कर्मचारी एवं पद	वेतनमान	वर्तमान वेतन दिनांक	वेतन वृद्धि पश्चात वेतन एवं दिनांक	आर्थिक लाभ देय दिनांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	श्रीमती पूजा तिवारी, सहायक ग्रेड-3 दमोह	19500-62000	<u>24700</u> 01.07.2024	<u>25400</u> 01.07.2025	04.08.2025	नियमित वा.वे. वृद्धि
आगामी नियमित वा.वे.वृद्धि दिनांक 01.07.2026						

नोट- श्रीमती पूजा तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन दमोह को स्वीकृत संतान पालन अवकाश के उपभोग पश्चात् कर्तव्य पर उपस्थित होने से दिनांक 04.08.2025 से आर्थिक लाभ देय।


**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)**

पृष्ठा.क्र.-3363.../दो-12-2/1993

दमोह, दिनांक 15 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि -

1. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती पूजा तिवारी, सहायक ग्रेड-3 दमोह की ओर ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
3. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
4. लेखापाल/वेतन देयक लिपिक/एच.आर.एम.एस. लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।




**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)**